

**राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ. प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।**

पत्रांक 6642/एस.सी.डी.आर.सी.यू.पी./एन.12टी.सी.-3/2016-17, दिनांक 20 फरवरी, 2019

निविदा सूचना

उ. प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कार्यालय के न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यालय की खराब/कन्डम जीराक्स मेक की फोटो कापी मशीन माडल सं. डब्लू.सी. 5325 जो माह मार्च, 2013 में आपूर्ति की गई थी। उक्त मशीन के स्थान पर बाई-बैक स्कीम के तहत 35 सी.पी.एम./पी.पी.एम. क्षमता वाली प्रतिष्ठित/ब्रान्डेड मेक की 01 नग मोनो फोटो कापी मशीन मय ट्राली आपूर्ति की जानी है।

नजारत अनुभाग में रखी खराब फोटो कापी मशीन का निरीक्षण निविदा प्रकाशित होने के तिथि से निविदा भरे जाने तक किसी भी कार्य दिवस में कर सकते हैं तथा निविदा भरे जाने हेतु निविदा प्रपत्र, नियम व शर्तों, फाइनेन्सियल बिड, से सम्बन्धित प्रपत्र 10.00 बजे से 2.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 01.03.19 तक निविदा फार्म की राशि रु.100/- का नकद भुगतान करके निविदा फार्म लेखानुभाग से प्राप्त कर सकते हैं।

आपूर्ति की जाने वाली फोटो कापी मशीन से सम्बन्धित दरें जी.एस.टी. को जोड़कर उसमें से पुरानी मशीन की राशि को घटाते हुये दर्शानी होगी।

निविदा प्रपत्र को भरकर उसके साथ अर्नेस्टमनी की राशि रु.3000/- का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करते हुये एवं नियम व शर्तों सहित एक लिफाफे में तथा फाइनेन्सियल बिड दूसरे लिफाफे में उक्त दोनो लिफाफो एक बड़े सील बन्द लिफाफे में करके राज्य आयोग कार्यालय में लगी निविदा पेट्टी में निविदा प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 05.03.19 की 5.00 बजे तक किसी भी कार्यालय दिवस में डाली जा सकती है। प्राप्त निविदायें दिनांक 06.03.19 को राज्य आयोग की मीटिंग हाल में सांय 4.00 बजे समिति की उपस्थिति में निविदादाताओं एवं उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र, नियम व शर्तें एवं फाइनेन्सियल बिड राज्य आयोग की वेबसाइट <http://scdrc.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है।



निबन्धक,

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र.

लखनऊ।

कार्यालय :- राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तर प्रदेश, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।

फार्म सं.

-: निविदा प्रपत्र :-

फार्म की राशि रू.100/-

रसीद सं. दिनांक

- 1- सन्दर्भ/विज्ञापन संख्या..... दिनांक.....
- 2- निविदादाता की फर्म का पूरा नाम व पता :-
- 3- फर्म के मालिक का नाम व स्थाई पता :-
- 4- फोटो कापी मशीन का मेक एवं माडल
- 5- फोटो कापी मशीन के सी.पी.एम./पी.पी.एम. की क्षमता.....
- 6- फोटो कापी मशीन के बाईपास ट्रे एवं दोनो मेन ट्रे में ए-3 साइज के पेपर लगाने की क्षमता
बाईपास ट्रे की पेपर क्षमता कितनी है.....
प्रथम ट्रे की पेपर क्षमता कितनी है
- 7- फोटो कापी मशीन की हार्ड डाइव/हार्ड डिक्स की क्षमता.....
- 8- फोटो कापी मशीन की रैम की क्षमता.....
- 9- फोटो कापी मशीन के यू.एस.बी. ड्राइव व पोर्ट की सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं.....
- 10- फोटो कापी मशीन में नेटवर्किंग सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं
- 11- फोटो कापी मशीन के स्कैन करने की क्षमता.....
- 12- फोटो कापी मशीन का प्रिन्ट/कापी का विवरण.....
- 13- फोटो कापी मशीन के डुप्लेक्स प्रपत्र फीडर की क्षमता.....
- 14- फोटो कापी मशीन की वारन्टी की अवधि.....
- 15- फोटो कापी मशीन के डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटर होने की अवधि.....
- 16- फोटो कापी मशीन की टच स्क्रीन साइस (इंच में).....
- 17- फोटो कापी मशीन की मरम्मत हेतु कम्पनी के अधिकृत सर्विस इन्जीनियर की सं.....

प्रमाण पत्र सहित।

- 18- सरकारी विभागों में वित्तीय वर्ष 2018-19 में सप्लाय की गई फोटो कापी मशीनों की संख्या जो निविदा में दर्शाई गई है प्रमाण पत्रो सहित.....
- 19- सरकारी विभागों में फोटो कापी मशीन का अनुरक्षण (फाजमा) किये जाने का प्रमाण पत्र.....
- 20- कम्पनी द्वारा लखनऊ में अधिकृत सर्विस सेन्टर का पता.....
- 21- जी.एस.टी. पंजीकरण संख्या.....
- 22- पैन कार्ड संख्या.....
- 23- निविदा प्रपत्र के साथ अनुरक्षण से सम्बन्धित अर्नेस्टमनी की धनराशि रु.3000/- का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र. के पक्ष में बनवाकर निविदा फार्म के साथ संलग्न किया जाय :-
बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक सं..... दिनांक..... बैंक का नाम :-.....
धनराशि रु..... (रु.....)
- 24- निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र. लखनऊ द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के सन्दर्भ में मैं/हम निविदा प्रपत्र के साथ प्राप्त नियम शर्तें स्वीकार करता हूँ/करते हैं तथा निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई दरों के आधार पर मशीन की आपूर्ति कराये जाने हेतु बचनबद्ध हूँ, जिसके लिए विभाग का निर्धारित निविदा प्रपत्र भरकर शुल्क सहित भेज रहा हूँ/रहे हैं, जिसके प्रमाण स्वरूप निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर कर दिया है/कर रहे हैं।
निविदादाता का नाम :-.....
निविदादाता का पता :-.....
स्पष्ट शब्दों में हस्ताक्षर :-
फर्म का पूरा नाम :-.....
फर्म का पूरा पता :-.....
निविदादाता का दूरभाष सं./मोबाइल नं.....

संलग्न :-

- 1- जी.एस.टी. कर पंजियन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति..... संलग्न है/नही
- 2- पैनकार्ड की प्रमाणित प्रति..... संलग्न है/नही



- 3- क्रमांक 11 के अनुसार अर्नेस्टमनी..... संलग्न है/नही
- 4- आयकर रिटर्न की छाया प्रति संलग्न है/नही
- 5- कम्पनी का अधिकृत सर्विस सेन्टर लखनऊ में है/नही
- 6- अनुरक्षण (फाज़मा) करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है/नही
- 7- कम्पनी के अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर होने का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
- 8- फोटो कापी मशीन का ब्रोशर कानफीग्रेसन सहित संलग्न करें।
- 9- निविदा फार्म से सम्बन्धित रसीद मूल रूप में संलग्न है/नही।



निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

कार्यालय :- राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र. सी-1, विक्रान्त खण्ड-1,
गोमती नगर, लखनऊ।

कार्यालय की जीराक्स मेक की खराब फोटो कापी मशीन माडल सं.5325 के स्थान पर बाई-बैक स्कीम के तहत 35 सी.पी.एम./पी.पी.एम. क्षमता वाली मोनो टाइप 01 नग फोटो कापी मशीन की आपूर्ति टेण्डर के माध्यम से कराये जाने हेतु नियम व शर्तें

1. निविदा फार्म को विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से दिनांक 01.03.19 तक किसी भी कार्य दिवस में 10.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक लेखानुभाग में धनराशि रू.100/- (रू. एक सौ मात्र) का नकद भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं। निविदा फार्म से सम्बन्धित रसीद को निविदा भरे जाने पर मूल रूप में टेक्निकल बिड के साथ संलग्न करनी होगी।
2. कार्यालय की खराब/कन्डम जीराक्स मेक की फोटो कापी मशीन माडल सं.डब्लू.सी.5325 के स्थान पर बाई-बैक स्कीम के तहत कम से कम 35 सी.पी.एम./पी.पी.एम. क्षमता वाली प्रतिष्ठित/ब्रान्डेड मेक की 01 नग फोटो कापी मशीन का क्रय ट्राली सहित किये जाने हेतु निविदा प्रकाशित होने के तिथि के उपरान्त किसी भी कार्य दिवस में आकर खराब/कन्डम मशीन का निरीक्षण कर सकते हैं। निविदा भरे जाने पर फाइनेन्सियल बिड में नई मशीन की राशि को मय ट्राली जी.एस.टी. कर को जोड़कर दर्शानी होगी तथा उसमें से पुरानी मशीन की राशि को घटाकर कुल देय राशि दर्शानी होगी।
3. निविदा भरने वाली फर्म का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, निविदा प्रपत्र के साथ फर्म का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
4. कम्पनी की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटर होने की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
5. फोटो कापी मशीन की रैम 2 जी.बी. से कम नहीं होनी चाहिए।
6. फोटो कापी मशीन की हार्ड ड्राइव/हार्ड डिस्क की क्षमता 320 जी.बी. से कम नहीं होनी चाहिए।
7. फोटो कापी मशीन के डुप्लेक्स प्रपत्र फीडर की क्षमता कम से कम 110 सीट होनी चाहिए।
8. फोटो कापी मशीन के तीनों पेपर ट्रे की क्षमता कम से कम 1100 ए-3 पेपर सीट से कम न हो।
9. फोटो कापी मशीन टच स्कीन कम से कम 7 इंच होनी चाहिए।
10. फोटो कापी मशीन में यू.एस.बी. ड्राइव एवं पोर्ट की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
11. फोटो कापी मशीन में नेटवर्किंग सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
12. फोटो कापी मशीन का अधिकृत सर्विस सेंटर लखनऊ में होना अनिवार्य है।
13. फोटो कापी मशीन का अनुरक्षण (फाज्मा) करने का अनुभव प्रमाण पत्र की कापी लगाना होगा।
14. निविदा में भरे जाने वाली फोटो कापी मशीन का वित्तीय वर्ष 2018-19 में सरकारी विभागों में सप्लाय की गई मशीन का विवरण दिया जाना अनिवार्य है।
15. आयकर रिटर्न की कापी लगाया जाना अनिवार्य है।
16. फोटो कापी मशीन का रेज़िल्यूसन कम से कम प्रिन्ट 1200×1200 डी.पी.आई. तथा कापी 600×600 डी.पी.आई. होनी चाहिए।
17. निविदा प्रपत्र के साथ अर्नेस्टमनी (धरोहर) के रूप में धनराशि रू.3000/- (रू. तीन हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, निबन्धक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र. के पक्ष में बनवाकर निविदा फार्म के साथ मूल रूप में जमा करना होगा।
18. निविदा अन्तिम होने पर असफल निविदादाताओं की अर्नेस्टमनी वापस कर दी जायेगी, जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत की जायेगी। उसकी अर्नेस्टमनी की राशि जमानत के रूम में वारन्टी अवधि तक जमा रखी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

19. मशीन की वारन्टी अवधि में सेवा में किसी प्रकार की कमी पायी जाती है तो जमानत के रूप में जमा धनराशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र. लखनऊ को होगा।
20. फोटो कापी मशीन की वारन्टी 02 वर्ष की होनी चाहिए।
21. फोटो कापी मशीन के स्कैन करने की क्षमता रंगीन एवं मोनो की अलग-अलग दर्शानी होगी।
22. फोटो कापी मशीन की वारन्टी अवधि में खराबी आने पर शिकायत दर्ज होने के उपरान्त 06 घन्टे के अन्दर सर्विस देनी होगी।
23. मशीन की वारन्टी अवधि में कोई खराबी आने पर कन्ज्यूमेबिल आइटम को छोड़कर मरम्मत में लगने वाले पार्ट एवं लेबर का कोई भुगतान देय नहीं होगा।
24. मशीन की सन्तोषजनक आपूर्ति कराये जाने के उपरान्त बिल दो प्रतियों में कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। बिल प्राप्त होने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा।
25. किसी प्रकार के कानूनी विवाद का क्षेत्र लखनऊ स्थित न्यायालय ही होगा।
26. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, लखनऊ को होगा।
27. निविदा प्रपत्र स्पष्ट अक्षरों में भरा जाना चाहिए, अस्पष्ट/अपठनीय निविदा प्रपत्र निरस्त समझी जायेगी।
28. निविदा की टेक्नीकल बिड, नियम व शर्तें एक लिफाफे में एवं फाइनेन्सियल बिड अलग-अलग लिफाफे में तथा उक्त दोनो लिफाफो को एक बड़े लिफाफे में सील बन्द कर विज्ञप्ति संख्या एवं दिनांक अंकित करते हुये राज्य आयोग के गेट सं.03 के बगल में लगी निविदा पेटी/बाक्स में दिनांक 05.03.19 की सांय 5.00 बजे तक डाली जा सकती है। उक्त तिथि एवं समय के उपरान्त स्वीकार नहीं की जायेगी।
29. प्राप्त निविदायें दिनांक 06.03.19 को सांय 4.00 बजे गठित समिति व निविदादाता एवं उनके प्रतिनिधि के समक्ष राज्य आयोग कार्यालय की मीटिंग हाल में खोली जायेगी।
30. मैने उपरोक्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा उसका पालन करने को बचनबद्ध हूँ।

निविदादाता का पूरा नाम :-

निविदादाता का आवासीय पता :-

स्पष्ट शब्दों में हस्ताक्षर :-

फर्म का पूरा नाम :-

फर्म का पूरा पता :-

निविदादाता का दूरभाष सं./मोबाइल नं.....



निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर